

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 22 जून 2026

क्रमांक 3090/विधि/छ.ग.प.सं.मं./2026.—यह कि म.प्र. राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक 1481-1473-88 दिनांक 09-03-1988 (छ.ग.) राज्य द्वारा अनुपालन आदेश 2001 के तहत छ.ग. राज्य में प्रवृत्त किया गया है) अर्थात् छ.ग. राज्य को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (1981 का सं-14) की धारा 19 की उपधारा (1) के तहत छ.ग. राज्य में उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया गया है।

यह कि छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल का गठन वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (1981 की अधिनियम संख्या 14) की धारा 4 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के तहत किया गया है तथा मंडल को अधिसूचित प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में अधिनियम में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है।

वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 क, (धारा 17 (h) एवं धारा 17(j)) के साथ पठित) एवं जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 क (धारा 17 (n) एवं धारा 17(o)) पठित) के तहत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को किसी भी उद्योग, संचालन या प्रक्रिया पर रोक लगाने एवं नियमन के निर्देश जारी करने की शक्ति हैं बोर्ड को ऐसे किसी भी उद्योग कि स्थल के बारे में राज्य सरकार को सलाह देने के हेतु अधिकृत हैं जहां से प्रदूषण फैलने की संभावना हो तथा अधिनियमों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य उपाय भी कर सकता है।

यह कि छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल के कार्यालय आदेश क्रमांक 6572 दिनांक 11.09.2025 (संशोधित कार्यालय आदेश क्रमांक 2929 दिनांक 16.06.2026) द्वारा उद्योगों को स्थापित करने के मानदंड (न्यूनतम दूरी) प्रावधानित किये गये हैं। उक्त प्रावधान का पालन वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 एवं जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 के तहत किसी भी उद्योग को स्थापित और संचालित करने हेतु अनिवार्य है।

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 (क) के साथ पठित (धारा 17 (h) एवं धारा 17(j)) तथा जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 (क) के साथ पठित (धारा 17 (n) एवं धारा 17(o)) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर स्थल चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड अधिसूचित करता है:-

स्थल चयन मापदंड

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत उद्योग स्थापित करने हेतु निम्नानुसार न्यूनतम दूरी बनाए रखी जानी आवश्यक है।

क- राजस्व रिकार्ड के अनुसार सतहों पर मौजूद पानी के स्रोत (जैसे बाढ़ का मैदान/ एच एफ एल/रेड लाइन के करीबी सीमा से)

1. लाल श्रेणी के उद्योग - 500 मीटर दूर
2. आरंज श्रेणी के उद्योग
 - दूषित जल उत्पन्न करने वाले उद्योग -75 मीटर की दूर
 - दूषित जल उत्पन्न नहीं करने वाले उद्योग -30 मीटर की दूर
3. हरे श्रेणी के उद्योग - 30 मीटर दूर

ख— रहवासी क्षेत्र, शिक्षण संस्थान, पूजा स्थल, पुरातात्विक स्मारक, आरक्षित वन एवं हेरीटेज साईट

1. लाल श्रेणी के उद्योग — 500 मीटर दूर
2. आरंज श्रेणी के उद्योग — 200 मीटर दूर
3. हरे श्रेणी के उद्योग — 100 मीटर दूर

ग— संरक्षित वन के अधिसूचित सीमा से

1. लाल श्रेणी के उद्योग — 100 मीटर दूर
2. आरंज श्रेणी के उद्योग — 100 मीटर दूर
3. हरे श्रेणी के उद्योग — 100 मीटर दूर

No. 3090/विधि/छ.ग.प.सं.मं./2026.—WHEREAS, the State Government of Madhya Pradesh vide this department's Notification No. 1481-1473-XXXII-88, dated 9th March, 1988 (adopted by the State of Chhattisgarh under Adaptation of Laws Order, 2001) has notified the entire State of Chhattisgarh (erstwhile Madhya Pradesh) as pollution control area under sub-section (1) of Section 19 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (No. 14 of 1981);

WHEREAS, the Chhattisgarh Environment Conservation Board has been constituted under Section 4 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (No. 14 of 1981) and Section 4 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and has power to exercise jurisdiction in the notified pollution control area.

WHEREAS, in terms of Section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 read with Section 17(h) and 17(j) and Section 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, read with Section 17(n) and 17(o), the Chhattisgarh Environment Conservation Board has power to issue directions regarding prohibition or regulation of any industry, operation or process and advise the state government with respect to the location of any industry, the carrying on of which, is likely to cause pollution and perform such other acts as it may think is necessary for the purpose of carrying into effect the purpose of the acts.

WHEREAS, Chhattisgarh Environment Conservation Board, vide office order no. 6572 dated 11.9.2025 (amended vide office order no. 2929 dated 16.06.2026), prescribed sitting criteria (or minimum distance) for industries that must be followed while establishing and operating any industry under Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

NOW, THEREFORE, the Chhattisgarh Environment Conservation Board, in exercise of powers conferred under Section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 read with Section 17(h) and 17(j) and Section 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, read with Section 17(n) and 17(o), hereby notifies the following sitting criteria:

Siting Criteria

1. While establishing an industry under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the following minimum distance shall be maintained, namely:-

(A) From the nearest boundary of a surface water body (flood plain/HFL/Red line) as per revenue records:

1. Red category industries — beyond 500 meters
2. Orange category industries —
 - With effluent generation — beyond 75 meters
 - Without effluent generation — beyond 30 meters
3. Green category industries — beyond 30 meters

(B) From settlement, educational institute, place of worship, archaeological monument, reserved forest, or heritage site:

1. Red category industries – beyond 500 meters
2. Orange category industries – beyond 200 meters
3. Green category industries – beyond 100 meters

(C) From the notified boundary of Protected Forest:

1. Red category industries – beyond 100 meters
2. Orange category industries – beyond 100 meters
3. Green category industries – beyond 100 meters

राजू अगसिमनी
सदस्य सचिव

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2025

क्रमांक 713/दो-3-25/2007.— श्री मंसूर अहमद, रजिस्ट्रार (आई एण्ड ई) उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 27-10-2025 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2023 से 31-10-2025 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 324/PS LAW/89/XXI-B/C.G./24 दिनांक 16-02-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2025

क्रमांक 714/दो-3-14/2007.— श्री राकेश बिहारी घोरे, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जशपुर (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 06-10-2025 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2023 से 31-10-2025 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 324/PS LAW/89/XXI-B/C.G./24 दिनांक 16-02-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2025

क्रमांक 715/दो-2-9/2025.— श्री विवेक नेताम, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 06-11-2025 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2023 से 31-10-2025 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 324/PS LAW/89/XXI-B/C.G./24 दिनांक 16-02-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है।